न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 10 / 2025

बउनवान

1. निर्मलकुमार आयु 50 वर्ष पुत्र श्री शंकरलाल
2. गिरराज आयु 45 वर्ष पुत्र श्री शंकरलाल
3. रघुवीर आयु 43 वर्ष पुत्र श्री शंकरलाल
4. मांगीबाई आयु 65 वर्ष पत्नि श्री शंकरलाल जातिगण धाकड निवासीगण कोटडीं तहसील अन्ता जिला बारां राज0 मो. नं. 9950781646

अपीलान्टगण

बनाम

1. रामचन्द्र आयु 50 वर्ष पुत्र श्री राधाकिशन
2. हेमराज आयु 45 वर्ष पुत्र श्री राधाकिशन
3. बृजमोहन आयु 40 वर्ष पुत्र श्री राधाकिशन जातिगण बैरवा निवासीगण केथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा, राज0
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, अन्ता जिला बारां, राज0

रेस्पोडेन्टगण

अपील बनाराजगी आवटंन आदेश दिनांक 26.06.1976 ग्राम कोटडी तह0 मांगरोल की भूमि खसरा नं0 357 रकत्रा 11 बीघा 8 बिस्वा अपील अन्तर्गत नियम 17(4) भू आवटंन सीलिंग अधिनियम

उपस्थित :– 1. श्री बाबूलाल जैन एड. (अपीलांट्स)
2. श्री हरिओम चर्तुवेदी एड. (रेस्पोडेन्ट्स)

निर्णय दिनांक 20.02.2026

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कोटडी तहसील मांगरोल में खसरा नं. मिन 357 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा भूमि स्थित थी जिसके हाल खसरा नं. 462 रकबा 0.79 हैक्टर है जो वर्तमान में ग्राम कोटडी पटवार हल्का मानपुरा तहसील अन्ता की है। उपरोक्त खसरा नं. 462 रकबा 0.79 हैक्टर भूमि वर्तमान समय मे राधाकिशन पुत्र धन्ना बैरवा निवासी भोराजेडी की गैरखातेदारी मे दर्ज है। राधाकिशन का देहान्त हो गया है तथा रेस्पो0 कम 1 ता 3 उसके वारिस एंव पुत्र है जो ग्राम केथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा में रहते है। स्वयं राधाकिशन पुत्र धन्नालाल बेरवा कभी भी भोराजेडी में नहीं रहा और ना ही कोटडी में रहा इस कारण उसने उपरोक्त भूमि आवंटन के बाद कभी भी काश्त नहीं की। इस कारण सन् 1976 से आज दिन तक उपरोक्त भूमि उसकी गैरखातेदारी में ही दर्ज चली आ रही है वर्तमान में उसके फोत होने के बाद भी आज दिन तक उसके पुत्रगण जो रेस्पो0 है उन्होने नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज नहीं करवाया और ना ही कभी उन्होंने उपरोक्त भूमि काश्त की। क्योकि आवटंन के समय से ही उपरोक्त भूमि अपीलान्ट के कब्जे में चली आ रही है। यदि भूमि सीलिंग की सरप्लस होकर आवंटन के योग्य होती है तो वह भूमि सर्वप्रथम जिस गांव की भूमि है। गांव के व्यक्ति को आवंटन होने का नियम है। किन्तु यह भूमि राधाकिशन जो कोटडी का निवासी नहीं था के नाम आवंटन करके आवंटन अधिकारियो ने भारी भूल की है। वादग्रस्त भूमि सर्वप्रथम इन्तकाल नं. 69 दिनांक 29.11.1976 से राधाकिशन पुत्र धन्ना बेरवा के नाम गैरखातेदारी में दर्ज की गयी तभी से कभी भी राधाकिशन ने अपने जीवन काल में यह भूमि काश्त नहीं की। वर्तमान में भी रेस्पो0 ने उपरोक्त भूमि कभी भी काश्त नहीं की तथा रेस्पो0 भी कभी भी ग्राम कोटडी में नहीं रहे वर्तमान में रेस्पो0 ग्राम केथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा में रह रहे है। वर्तमान समय मे वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट काबिज है किन्तु दिनांक 15.07.2025 को रेस्पो0 इस भूमि पर आ गये तथा धमकी दी कि यह भूमि हमारे पिता के नाम की है। इस कारण इस भूमि को हम काश्त करेंगे और हमारे नाम नामान्तरकरण दर्ज करवाकर बेचान भी दीगर व्यक्तियो को करेंगे एवं इस भूमि को रहन भी करेंगे। अपीलार्थीगण ने रेस्पो0 को समझाया कि इस भूमि पर हम सदैव से काबिज चले आ रहे हे तुम्हारा यहां कोई हक नहीं है बामुश्किल रेस्पो0 माने लेकिन धमकी देकर गये है कि आज नहीं तो कल इस भूमि को जबरन काश्त करके रहेगे। अतएव अपीलान्टगण रेस्पो0 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी करवा पाने के अधिकारी एंव नालिशी है कि उपरोक्त भूमि पर अपीलान्ट के कब्जे मे रेस्पो0 किसी तरह की मदाखलत नही करे तथा अपीलान्ट को शांतिपूर्ण ढंग से काश्त करता रहने देवे तथा वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अतः अपील स्वीकार कर फरमाकर आवटंन आदेश दिनांक 26.06.1976

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.04.01 13:54:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज॰)

आवटंन हुयी अपाल अन्तगत नियम 17(4) भू

सीलिंग अधिनियम

ग्राम कोटडी तहसील मांगरोल (हाल अन्ता) जिला बांरा की खसरा नं. 357 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा निरस्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंटगण कम 1 ता 3 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये। रेकार्ड बाबत तहसीलदार अन्ता से रिपोर्ट प्राप्त हुई कि उक्त आवंटन पत्रावली कार्यालय रेकार्ड में उपलब्ध नहीं है। रेकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण उभयपक्ष के अभिभाषकगण ने बहस समाअत करने का निवेदन किया। अतः हमने उभयपक्ष की बहस सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चिय किया।

हमने बहस उभयपक्ष सुनी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम कोटड़ी की आराजी खसरा नं. 462 रकबा 0.79 हैक्टर भूमि वर्तमान समय मे राधाकिशन पुत्र धन्ना बैरवा निवासी भोराजेडी की गैरखातेदारी मे दर्ज है। राधाकिशन का देहान्त हो गया है तथा रेस्पो0 कम 1 ता 3 उसके वारिस एंव पुत्र है जो ग्राम केथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा में रहते है। स्वयं राधाकिशन पुत्र धन्नालाल बेरवा कभी भी भोराजेडी में नहीं रहा और ना ही कोटडी में रहा इस कारण उसने उपरोक्त भूमि आवंटन के बाद कभी भी काश्त नहीं की। आवटंन के समय से ही उपरोक्त भूमि अपीलान्ट के कब्जे में चली आ रही है। यदि भूमि सीलिंग की सरप्लस होकर आवंटन के योग्य होती है तो वह भूमि सर्वप्रथम जिस गांव की भूमि है। गांव के व्यक्ति को आवंटन करने का नियम है। किन्तु यह भूमि राधाकिशन जो कोटडी का निवासी नहीं था के नाम गलत रूप से आवंटन की गई है। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में विधिक दृष्टांत डीएनजे (राज.) 2000 पृष्ठ संख्या 162, आरबीजे (6) 1999 पृष्ठ संख्या 14 का अवलोकन करवाया तथा अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपील में अंकित तथ्यों का खंडन करते हुए कथन किया कि उक्त भूमि अपीलांटगणं के परिवार से ही सीलिंग अधिग्रहण की जाकर नियमानुसार पात्र एवं भूमिहीन कृषकों को आवंटन की गई थी। वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्टगण के पिता को पात्रता के आधार पर ही भूमि का आवंटन किया जाकर दखल दिया गया। अपीलांटगण रेस्पोडेन्टगण के पिता को आवंटित भूमि पर कब्जा करने को आमादा हैं। रेस्पोडेन्टगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं। रेस्पोडेन्टगण के पिता अपने जीवनकाल में ग्राम भोराजेड़ी में ही निवास करते थे तथा ग्राम भोराजेड़ी एवं ग्राम कोटड़ी तत्समय एकही पंचायत में स्थित थे। अपने जीवनकाल में रेस्पोडेंटगण के पिता तथा उनके बाद रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त हैं। अभिभाषक रेस्पोडेन्टगण ने अपने कथन के समर्थन में विधिक दृष्टांत 2019 आरबीजे 694, 2024 (1) डीएनजे (रेव.) 185, 2010 आरबीजे (17) पृष्ठ संख्या 608 का अवलोकन करवाया तथा अपील अपीलांटगण खारिज करने का निवेदन किया।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2028–31 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम कोटडी की आराजी खाता संख्या 50 की कुल किता 90 बीघा 8 बिस्वा आराजी अपीलांटगण के पूर्वज शोजी पुत्र कान्हा के खाते दर्ज थी जिसमें आराजी खसरा नंबर 357 रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा भूमि भी स्थित थी जिसमें कॉलम संख्या 16 में अंकित विशेष विवरण में अन्य खसरा नंबरान के साथ खसरा नंबर 357 की रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा भूमि सिवायचक दर्ज होने का नोट अंकित है। जमाबंदी संवत 2036–39 के खाता संख्या 92 अनुसार किता 2 रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा राधाकिशन पुत्र धन्ना बैरवा निवासी भोराजेडी के गैर खातेदारी में दर्ज है। अपीलांटगण ने वादग्रस्त भूमि पर उनका कब्जा होने बाबत कोई प्रमाण पत्रावली में पेश नहीं किया है तथा रेस्पोडेन्टगण के पिता को किये गये आवंटन को भी गलत आवंटन होना अपीलांटगण साबित करने में असफल रहे हैं। यदि अपीलांटगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा माना भी जावे तो भी उनकी हैसियत अतिक्रमी की ही मानी जावेगी तथा अतिक्रमी को आवंटन आदेश को चुनौती देकर खारिज करवाने का अधिकार नहीं है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांटगण सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांटगण सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.04.01 13:54:16 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर बारां

जिला कलक्टर बारां (राज.)

आवटंन हुयी अपील अन्तर्गत नियम 17(4) भू